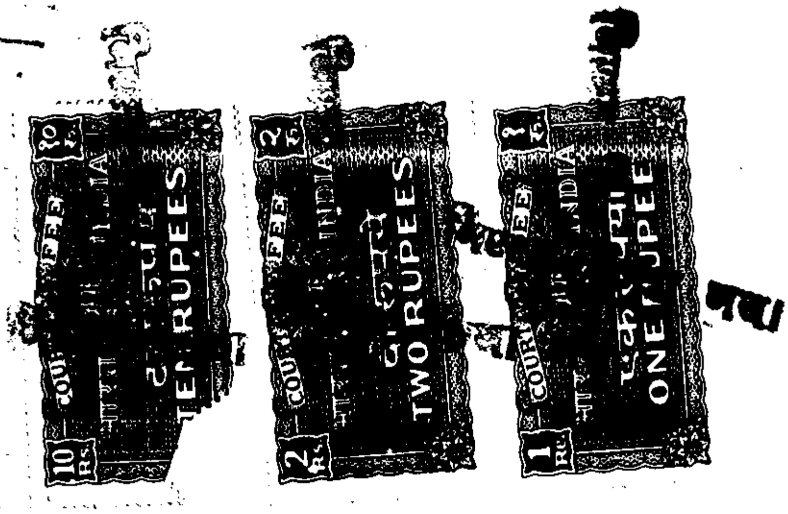


35
12/2/07

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, लखनऊ। नकल आदेश दिनांक-
15-02-2007 बाबत वाद संख्या-63/06-07 एक्सलसियर एजूकेशनल-
सोसाइटी बनाम सरकार धारा-143 ZALRAct ग्राम नटकुर, परगना-
तहसील व जिला, लखनऊ। मिसिल दिनांक 15/02/2007

प्रयोगोपरान्त कोलियों निरस्त किया जाता है। आदेश दिनांक-
15/02/07 की छाया प्रति संलग्न है।

143

Land No- 598

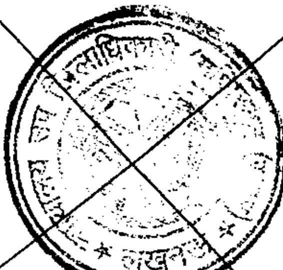

## न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ

वाद सं0--63/06–07
स्कालर्स एजुकेशलन सोसाइटी बनाम सरकार
धारा--143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम–नटकुर, परगना बिजनौर, तहसील व
जिला लखनऊ।

35
13/2/07

### निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही स्कालर्स एजुकेशलन सोसाइटी रजि0 आफिस 7 वाल्मीकि मार्ग लालबाग, लखनऊ द्वारा सचिव आरिफ सिद्दीकी के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07. के अंतर्गत धारा–143 जेड0 ए0एल0आर0एक्ट पर प्रारम्भ हुई। जिसमें यह कहा गया कि भूमि संख्या 598 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा 19 बिस्वांसी ग्राम सभा नटकुर परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ को सोसायटी द्वारा स्थापित आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एण्ड इंजीनियरिंग के लिए खरीदा था। खरीदने के पश्चात प्रार्थी ने उक्त भूमि पर निर्माण कराकर उसको आवासीय एवं अकृषिक भूमि के रूप में उपयोग कर रहा है तथा चहारदीवारी व अन्य निर्माण करा दिया है तथा उपरोक्त भूमि उपरोक्त एरोनाटिक्स संस्थान के अध्यासन एवं उपयोग उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देशित नियमों और आदेशों के अनुसार अकृषिक भूमि के रूप में प्रयोग में लाई जा रही हैं। उपरोक्त भूमि को खरीदने के पश्चात से आज तक उपरोक्त भूमि कभी भी कृषि या उससे संबंधित उपयोग मे नहीं लायी गयी है और न वर्तमान समय में किसी भी प्रकार से कृषि अथवा संबंधित किसी कार्य में उपयोग की जा रही है। अन्त में वादी द्वारा उक्त भूमि को आवासीय रूप में परिवर्तित किये जाने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर,लखनऊ ने अपनी आख्या दिनांक 12.01.07 को प्रस्तुत कर यह कहा है कि ग्राम नटकुर, परगना बिजनौर, की वर्तमान खतौनी सन् 1411–1416फ0 के खाता संख्या 271 पर अंकित गाटा संख्या 598 रकबा 3.679हे0 पर स्कालर्स एजुकेशलन सोसाइटी रजि0 आफिस 7 वाल्मीकि मार्ग, लालबाग, लखनऊ द्वारा सचिव आरिफ सिद्दीकी का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज कागजात है। गाटा संख्या 598 रकबा 3.679हे0

उप जिलाधिकारी ... लखनऊ

35
17/2607

मे 0.310हे0 पर अलग–अलग दो स्थानों पर पक्का निर्माण सर्वेन्ट क्वाटर एवं विद्यालय का भवन निर्माणाधीन है। दक्षिण तरफ पूरी बाउन्ड्री बनी है। पश्चिम तरफ 320 फुट बाउन्ड्री बनी है। वर्तमान समय में कांटेदार तार द्वारा घिरा है। इसी बीच 0.506हे0 खेल का मैदान है। अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या सेवा मे प्रेषित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से विद्वान जिलाशासकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.02.07 को आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि तहसील रिपोर्ट भूलेख नियमावली के आधार पर नहीं प्रेषित की गयी है तथा खातेदार के संबंध में मूल इन्द्राज का संदर्भ नही दिया गया है। मौके पर श्रीमान जी द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया जा सकता है। वादी की ओर से अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर यह कहा गया कि उपरोक्त मामले में तहसील की आख्या भूलेख नियमावली के अन्तर्गत प्रेषित की गयी है तथा उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। तहसील की रिपोर्ट/आख्या राजस्व अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है तथा अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित है। अन्त में वादी द्वारा अपनी बहस में यह निवेदन किया गया है कि तहसील आख्या के आधार पर वादी/प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित करने की कृपा की जाये। भूमि खसरा 598हे0 रकबा 14बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। भूमि का उपयोग आवासीय रूप में किया जा रहा है। उक्त भूमि पर निर्माण कराकर एरोनॉटिक्स एण्ड इंजीनियरिंग के उपयोग में की जा रही है। अन्त में प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि उपरोक्त भूमि को कृषि कार्य से भिन्न आवासीय रूप में परिवर्तित किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 12.01.07 का तथा जिला शासकीय अधिवक्ता(रा0) की आपत्ति का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी विस्तार पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सरकार की ओर से ऐसा कोई भी तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे ऐसा प्रतीत हो कि तहसील आख्या भूलेख नियमावली के अन्तर्गत प्रस्तुत नही की गयी है। प्रतिवादी सरकार की ओर से प्रस्तुत

35
17/2/07

आपत्ति बलहीन एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 12.01.07 की पुष्टि किए जाने एवं भूमि संख्या 598 रकबा 3.679हे0 को कृषि प्रयोजन से भिन्न (अकृषिक) घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। भूमि अकृषिक किये जाने योग्य है।

## आदेश

अतः ग्राम नटकुर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि गाटा संख्या 598 रकबा 3.679हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न (अकृषिक) प्रयोजन की भूमि घोषित किया जाता है। अभिलेखों में इन्द्राज हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व पंजीयन हेतु आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को प्रेषित हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मनोज राय)
उप जिलाधिकारी, सदर,
लखनऊ।

उपर्युक्त आदेश आज दिनांक 15-02-2007 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(मनोज राय)
उप जिलाधिकारी, सदर,
लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 17/2/07
नकल तैयार करने की तिथि: 17/2/07
नकल [illegible] की तिथि: 17/2/07
[illegible]: 13-2-07
[illegible]: 400 [illegible]
प्रतिलिपि कर्त्ता:
तुलनाकर्त्ता:
तिथि: 17/2/07

प्रमाणित प्रतिलिपि
17/2/07
रीडर,
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।

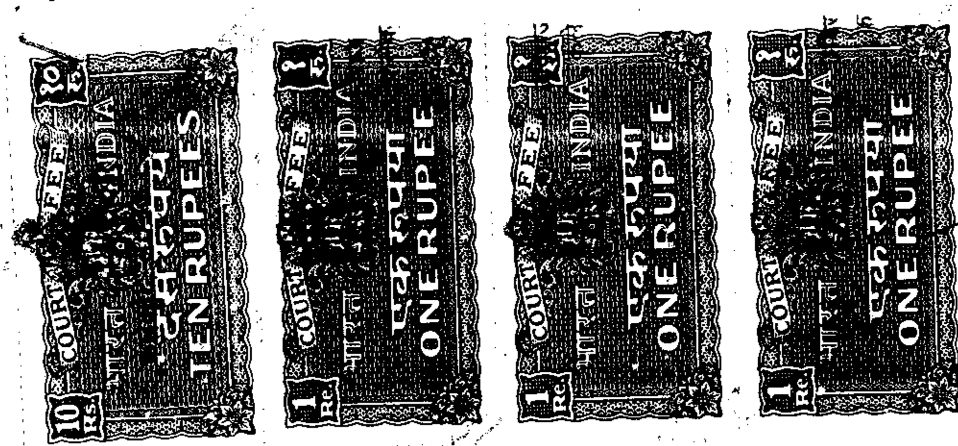


4 ...
13.0

486
9/01/08

किता ~~कोर्ट~~ दिनांक 7/1/08 द्वारा पारित उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ
वाद संख्या 73/07-08 स्कालर्स एजुकेशनल सोसायटी बनाम सरकार
धारा-143 ZALR Act ग्राम नयपुर परगना बिजनौर तहसील व जिला
लखनऊ ———— x ———— x ————

। सत्यापित छायाप्रति दिनांक हो फोटोलिपि निकल। —

143

Land No- 606, 607, 686

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ।

486
09/01/08

वाद सं0— 73/07—08
स्कालर्स एजूकेशलन सोसाइटी बनाम
उ0प्र0सरकार।
धारा—143 जेड0ए0एल0आर0एक्ट।
ग्राम—नटकुर, परगना बिजनौर
तहसील व जिला लखनऊ।

## निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही आरिफ सिद्दीकी, सचिव स्कालर्स एजूकेशलन सोसाइटी रजि0आफिस—7, बाल्मीकि मार्ग, लालबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.07 के आधार पर अन्तर्गत धारा 143 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट पर प्रारम्भ हुई जिसमें यह कहा गया कि प्रार्थी द्वारा गाटा संख्या 606—607 रकबा 0.1645हे0 13 विस्वा व 686 रकबा 0.860हे0 3 बीघा 8 विस्वा स्थित ग्राम सभा नटकुर को सोसाइटी द्वारा स्थापित आजाद इस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एण्ड इन्जीनियरिंग के उपयोग के लिए खरीदा था। उसके पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थी आवासीय एवं अकृषिक भूमि के रूप में उपयोग कर रहा है तथा चहारदीवारी व अन्य निर्माण करा दिया है। उपरोक्त भूमि उक्त एरोनॉटिक्स संस्थान के अध्यासन एवं उपयोग में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देशित नियमों और आदेशों के अनुसार अकृषिक भूमि के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थी द्वारा कृषि या उससे संबंधित उपयोग में नहीं लायी गयी है और न ही वर्तमान समय में किसी प्रकार से कृषि अथवा उससे संबंधित किसी कार्य में उपयोग की जा रही है। उक्त भूमि वर्तमान और भविष्य में सदैव ही केवल उपरोक्त एरोनॉटिक्स संस्थान निर्माण करने के पश्चात प्रयोग में लायी जाती रहेगी और इसका उपयोग प्रार्थी द्वारा न कृषि रूप में हुआ है और न अन्य किसी रूप में भविष्य में होगा। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवासीय प्रयोग की भूमि घोषित करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ द्वारा दिनांक 11.12.07 को आख्या प्रस्तुत की गयी। जिसमें यह कहा गया है कि ग्राम नटकुर, पर0 बिजनौर, तह0 व जिला लखनऊ स्थित भूमि संख्या 606 रकबा 0.076हे0, 607 रकबा 0.088हे0 व 686मि0 रकबा 0.860हे0 कुल 1.024हे0 भूमि वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 293 व 533 पर स्कालर्स एजूकेशलन सोसाइटी रजि0आफिस—7, बाल्मीकि मार्ग, लालबाग, लखनऊ द्वारा सचिव अरिफ सिद्दीकी के नाम बतौर सहखातेदार सं0भू0 दर्ज है। गाटा संख्या 606 रकबा 0.076हे0, 607 रकबा 0.088हे0

Rblsl-147

4816
9/01/08

स्कालर्स एजूकेशलन सोसाइटी की बाउन्ड्री के अन्तर्गत है। कृषि कार्य नहीं किया जाता है तथा 686मि0 रकबा 0.860हे0 भूमि पर वर्तमान समय में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है तथा दो तरफ पक्की बाउन्ड्री बनी है। उपरोक्त गाटा संख्या 606 रकबा 0.076हे0, 607 रकबा 0.088हे0 व 686मि0 रकबा 0.860हे0 पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त गाटा संख्या उ0प्र0ज0वि0एवंभू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत आवासीय/औद्योगिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित अग्रसारित है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मौखिक साक्ष्य में कहा गया कि वादीय भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी आवासीय एवं अकृषिक भूमि के रूप में उपयोग कर रहा है तथा चहारदीवारी व अन्य निर्माण करा दिया है। उपरोक्त भूमि उक्त एरोनॉटिक्स संस्थान के अध्यासन एवं उपयोग में उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देशित नियमों और आदेशों के अनुसार अकृषिक भूमि के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि कभी भी प्रार्थी द्वारा कृषि या उससे संबंधित उपयोग में नहीं लायी गयी है और न ही वर्तमान समय में किसी प्रकार से कृषि अथवा उससे संबंधित किसी कार्य में उपयोग की जा रही है। उक्त भूमि वर्तमान और भविष्य में सदैव ही केवल उपरोक्त एरोनॉटिक्स संस्थान निर्माण करने के पश्चात प्रयोग में लायी जाती रहेगी और इसका उपयोग प्रार्थी द्वारा न कृषि रूप में हुआ है और न अन्य किसी रूप में भविष्य में होगा। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में दिनांक 04.01.08 को शिवदत्त पुत्र स्व0 गयाराम निवासी मुल्लाहीखेड़ा, मजरा नटकुर, पोस्ट चन्द्रावल लखनऊ के बयान अंकित कराये। उपरोक्त पडोसी खातेदार द्वारा भी वादी के कथनों का समर्थन किया गया है तथा रा0निरीक्षक राम किशोर यादव क्षेत्र बंथरा, तहसील सदर लखनऊ के बयान भी अंकित कराये गये। उनके द्वारा भी तहसील आख्या दिनांक 11.12.07 की पुष्टि की है।

मैने वादी के मौखिक साक्ष्यों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं तहसीलदार सदर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 11.12.07 व पडोसी खातेदार शिवदत्त पुत्र स्व0 गयाराम एवं रा0निरीक्षक राम किशोर यादव के बयानों का सम्यक परिशीलन किया। उक्त तथ्यों साक्ष्यों एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आख्या के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वादीय भूमि को धारा 143जेड0ए0एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन(अकृषिक) की भूमि-घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

## आदेश

अतः ग्राम नटकुर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ स्थित भूमि गाटा संख्या 606 रकबा 0.152हे0 में से 0.076हे0, 607 रकबा 0.177हे0 में से 0.088हे0 व 686मि0 रकबा 0.860हे0 भूमि को कृषि

Rbial/143

9/01/08

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। अभिलेखों में अमलदरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार सदर, लखनऊ को व पंजीयन हेतु आदेश की एक प्रति उप निबन्धन, लखनऊ को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।

(अनूप कुमार)
उप जिलाधिकारी,सदर,
लखनऊ।

उपर्युक्त आदेश आज दिनांक 9/1/08 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अनूप कुमार)
उप जिलाधिकारी,सदर,
लखनऊ।

नकल प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 9/01/08
नकल तैयार करने की तिथि: 9/01/08
नकल जारी करने की तिथि: 9/01/08
प्रतिलिपि शुल्क: 13.00
शब्दों की संख्या: 250 लगभग (अनुप्रति सं० 257)

प्रतिलिपि कर्ता:
तुलनाकर्ता:
तिथि: 9/01/08

प्रमाणित प्रतिलिपि
9.1.08
रीडर,
उप जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट
(सदर) लखनऊ।